यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, विकासनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, विकासनगर के माह 01/2020 से 02/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजीव कुमार, श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री गौरव रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक- 01.03.2021 से 08.03.2021 तक श्री ए0के0जैन, व0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालीन पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः-इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानु प्रताप सिंह एवं अनुज कुमार सिंघल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक-15.01.2020 से 18.01.2020 तक श्री दानिश इकबाल, व0लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2016 से 12/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2020 से 02/2021 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2-**इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**-इकाई द्वारा क्षेत्र मे शुद्ध पेयजल का संचालन सुचारु रूप से किए जाने तथा तत्संबंधी अनुश्रवण किया जाता हैं।

(i) (अ) बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं।

(` लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		बचत
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	-
2018-19	-	102.25	267.69	321.78	2593.744	1457.76	-
2019-20	-	1238.23	208.58	223.97	1227.59	1215.219	-
2020-21 (02/2021 तक)	-	-	131.47	179.24	1986.726	1611.141	

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(` लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य/ बचत
2018-19	जल जीवन मिशन (JJM)	89.86	1190.266	325.33	-
2019-20		954.797	694.420	658.654	-
2020-21 (02/21 तक)		-	850.915	850.915	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई **"बी"** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:-

1. सचिव, पेयजल विभाग
2. मुख्य महाप्रबन्धक, जल निगम
3. महाप्रबंधक,जलनिगम
4. मुख्य अभियंता, जल निगम
5. अधीक्षण अभियंता
6. अधिशासी अभियंता

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, विकासनगर को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, विकासनगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। कार्य "नागथात पम्पिंग योजना" को विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग -2 (ब)</u>

प्रस्तर- 1: ₹ 22.15 लाख अर्थ दंड अधिरोपित कर वसूली ना किया जाना ।

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के नियम–5 में अभिवहन पास जारी किये जाने का प्रावधान है। इस नियम के उप नियम (2) में खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति धारी, भण्डार से विधिपूर्ण परिवहन के लिए प्रपत्र–जे में अभिवहन जारी करने का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत खनिजों के अभिवहन हेतु प्रपत्र एम0एम0–11 एवं प्रपत्र–जे मैनुअल विधि से जारी किये जाने का प्रावधान है। उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1578/VII-I/158– ख/04 टी0सी0–।। दिनांक 30 सितम्बर 2016 के अनुसार खनिजों के विधिपूर्ण अभिवहन/परिवहन हेतु e-form "MM-11" तथा e-form –"J" का निर्धारण किया गया है।

उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग संख्या-1031/VII-I/2015/158-ख/2004 देहरादून के दिनांक-31 जुलाई 2015 की अधिसूचना के स्तम्भ-2 के 13 2(ख) के अनुसार अवैध भंडारंकर्ता/अवैध का परिवहनकर्ता/अवैध खननकर्ता से खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 21 के उपनियम(2) एवं नियम 21 के उपनियम (5) के अनुसार अर्थदण्ड धनराशि `2,00,000/- (दो लाख रुपये) के अतिरिक्त अवैध उत्खनित खनिज/परिवहन किए जा रहे खनिज/भंडारित किए गए खनिज की मात्रा का विक्रय मूल्य (रायल्टी का पाँच गुना तक) की धनराशि उपरोकतानुसार आंगणित कर वसूली की जायेगी।

उत्तराखण्ड शासन, औध्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या: 1621/VII-1/2017/8ख/16 देहारादून दिनाँक 17-11-2017 द्वारा उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास, नियमावली प्रख्यापित की गयी। यह नियमावली दिनाँक 12-01-2015 से प्रवत्त की गयी।नियमावली के बिन्दु-10(1) के अनुसार मुख्य खनिज के मामले में अंशदान केंद्र सरकार के निर्देशों के अंतर्गत जमा करना है। मुख्य खनिज मैग्नेसाइट हेतु अंशदान रॉयल्टी का 30% है एवं बिन्दु-2 के अनुसार गौण खनिजों के मामले में समस्त उपखनिज पट्टाधारक, अनुज्ञा धारक, सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग की **जाने वाली बालू, बजरी पर रॉयल्टी का 25%** अतिरिक्त रूप से एवं ईंट भट्टा समाधान रॉयल्टी 15% अथवा साधारण मिट्टी पर 10 प्रतिशत तथा सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली मिट्टी पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा कराया जाना होगा।

विकास नगर विकास खंड के अंतर्गत नागथात ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना निर्माण कार्य हेतु ₹ 24.16 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी (01/2019)। कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी द्वारा धनराशि की प्रदान की गई थी। कार्य हेतु एक अनुबंध संख्या 01/EE/2019-20 दिनांक 07.06.2019 गठित किया गया था,

जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमशः 07.06.2019 तथा 06.12.2020 थी। कार्य लेखा परीक्षा तिथि तक पूर्ण नहीं था। लेखा परीक्षा तिथि तक कार्य पर ₹ 9.41 करोड़ व्यय किया जा चूका था ।

अधिशाषी अभियंता, निर्माण खंड, उत्तराखंड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम विकास नगर देहरादून के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त करने हेतु ठेकेदार द्वारा बिना FORM j तथा बिना FORM mm- 11 के उपखनिज लाया गया था जो उक्त नियमानुसार पूर्णतया अवैध था तथा उक्त नियमानुसार ही लाये गए उप खनिज की रॉयल्टी की राशि का पांच गुना प्लस 200000/- अर्थदंड ठेकेदार पर अधिरोपित कर वसूला जाना चाहिए था।

इस प्रकार ठेकेदार द्वारा लाये गए/ किये गए अवैधं खनन/ परिवहन की खनिज मात्रा की रॉयल्टी की राशि पर उक्त नियमों के अनुसार उप खनिज पर काटी गयी रॉयल्टी की राशि ₹272812/- का 05 गुणा = ₹1364060/-plus ₹2,00,000/- अर्थदण्ड सहित कुल ₹1564060/- minus ₹272812/- (काटी गयी कुल रॉयल्टी) = ₹1291248/- अधिरोपित कर वसूला जाना चाहिए था जो नही किया गया था। आगे जांच में यह भी पाया गया कि ठेकेदार द्वारा लाये गए उप खनिज की मात्रा के सापेक्ष काटी गयी रॉयल्टी की राशि पर उपरोक्त नियमानुसार 25 प्रतिशत की दर से खनिज न्यास निधि के रूप में ठेकेदार के बिलों से कटौती ₹68203/- कर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा नहीं करवाया गया था जो उक्त शासनादेश के प्रावधानों का उल्लंघन था

आगे, कार्यालय के माह 03/2020 के बाउचरों की जांच मे पाया गया कि माह के दौरान एनी विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त करने हेतु ठेकेदार द्वारा प्रपत्र (MM-11 या Form-J) जमा न करने पर कार्यालय द्वारा `154/= की दर से कुल `180942/= की रॉयल्टी काटी गयी। जिससे स्पष्ट था कि ठेकेदार द्वारा बिना Form-J तथा बिना FORM MM- 11 के उपखनिज लाया गया था जो उक्त नियमानुसार पूर्णतया अवैध था तथा उक्त नियमानुसार ही लाये गए उप खनिज की रॉयल्टी की राशि का पांच गुना प्लस ₹200000/- अर्थदंड लगा कर वसूला जाना चाहिए था।

इस प्रकार उक्त नियमों के अनुसार ठेकेदार द्वारा लाये गए/ किये गए अवैधं खनन/ परिवहन उप खनिज की मात्रा पर काटी गयी रॉयल्टी की राशि ₹180942/- का 05 गुणा= 904710/- minus (₹180942/- काटी गयी रॉयल्टी) तथा plus `2,00,000/- अर्थदण्ड सहित कुल `923768/- अर्थदंड अधिरोपित कर वसूला जाना चाहिए था जो नही किया गया था। आगे जांच में यह भी पाया गया कि ठेकेदार द्वारा लाये गए उप खनिज मात्रा के सापेक्ष काटी गयी रॉयल्टी की राशि पर उक्त नियमानुसार 25 प्रतिशत की दर से खनिज न्यास निधि के रूप में ठेकेदार के बिलों से कटौती ₹45235/- कर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा नहीं करवाया गया था जो उक्त शासनादेश के प्रावधानों का उल्लंघन था

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर खंड द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते बताया कि प्रकरणों की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । खनिज न्यास निधि कटौती के सम्बन्ध में बताया कि उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।

अतः कुल ₹2215016/- अर्थ दंड अधिरोपित कर वसूली ना किया जाना तथा ₹113436/- जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा नहीं **करवाए जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।**

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर: 2 - अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिकों कोनियोक्ता (Employer) द्वारा धनराशि ₹1.49 लाख का कमअंशदान किया जाना ।

अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान का प्रावधान है, और इसी के समतुल्य मासिक अंशदान का प्रावधान नियोक्ता (Employer) द्वारा था, परंतु उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या: 169/42/XXVII(10)/2016/2019 दिनांक: 12 जून 2019 के द्वारा नियोक्ता द्वारा दिये जाने वाले अंशदान को दिनांक: 01 अप्रैल 2019 से 10% से बढ़ाकर 14% (मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते का) कर दिया गया है, जबकि कर्मचारी के अंशदान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा,उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, विकास नगरमें उक्त पेंशन योजना में कार्यरत कार्मिकों के एनपीएस अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्मिकों के तो निर्धारित अंशदान (10%) की मासिक कटौती उनके वेतन से की जा रही है, परंतु 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता (Employer) द्वारा निर्धारित पूर्णअंशदान (14%) मासिक रूप से कार्मिकों को नहीं दिया जा रहा है। इसके स्थान पर उन्हे पूर्व से लागू मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान को दिया जा रहा है। जिसकी वजह से कार्मिकों को प्रति माह 4% अंशदान एवं उस पर मिलने वाले ब्याज की हानि हो रही है। अर्थात उन्हे नियोक्ता की तरफ से 4% मासिक अंशदान कम प्राप्त हो रहा है।

उक्त योजना में वर्तमान में कार्यालय में कुल 09 कार्मिक कार्यरत थे। जिनको 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता द्वारा कम भुगतान किए गए अंशदान की धनराशि की गणना जब लेखपरीक्षा द्वारा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के आधार पर की गई, तो पाया गया कि नियोक्ता द्वारा उक्त सभी कार्मिकों को 01 जनवरी 2020 से वर्तमान तक (01/2021) **कुल धनराशि ₹1,49,020.60/- का कम भुगतान किया गया।** (सभी 09 कार्मिकों के कम अंशदान का विवरण प्रस्तर के साथ संलग्न है, संलग्नक 01 से 05)

उक्त सभी कार्मिकों के प्रकरण पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे बताया किउक्त से संबंधित कोई दिशा निर्देश मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुए।खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपप्ति की पुष्टि होती है। अत: अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता (Employer) द्वारा कम अंशदान की गई धनराशि ₹1.49 लाखका प्रकरणउच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग -2 (ब)</u>

प्रस्तर-3 : अनुबंध की शर्तो के विपरीत ठेकेदार से कार्य के सापेक्ष ₹96 लाख की परफॉरमेंस गारंटी ना लिया जाना तथा उसे मद के सापेक्ष ₹ 94500/- का अधिक भुगतान किया जाना ।

विकास नगर विकास खंड के अंतर्गत नागथात ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना निर्माण कार्य हेतु ₹ 24.16 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी (01/2019)। कार्य हेतु एक अनुबंध संख्या 01/EE/2019-20 दिनांक 07.06.2019 गठित किया गया था, जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमशः 07.06.2019 तथा 06.12.2020 थी। कार्य लेखा परीक्षा तिथि तक पूर्ण नहीं था। लेखा परीक्षा तिथि तक कार्य पर ₹ 9.41 करोड़ व्यय किया जा चूका था ।

विभाग के वर्किंग मैन्युअल की सेक्शन 20 के बिंदु 1 के अनुसार–The successful tenderer shall deposit an amount equal to 5 percent of the tendered or accepted value of the work as performance guarantee .

अभिलेखों कि जांच में पाया कार्य के अनुबंध के गठन के समय एवं निविदा के नियमो के अनुसार बैंक गारंटी के रूप में कुल अनुबंधित राशि का 10 परसेंट सिक्यूरिटी के रूप में ठेकेदार से लिया जाना था जिसमे 5 प्रतिशत अनुबंध के गठन के समय परफॉरमेंस गारंटी के रूप में तथा 5 प्रतिशत राशि ठेकेदार के बिलों से सिक्यूरिटी डिपाजिट के रूप में काटी जानी थी जिसे कार्य पूर्ण होने के पश्चात defect liability period तक सिक्यूरिटी के रूप में रखा जाना था, आगे जांच में पाया गया कि अनुबंध के गठन के समय परफॉरमेंस गारंटी के सापेक्ष खंड द्वारा जो 5 प्रतिशत राशि ₹ 96 लाख बैंक गारंटी के रूप में ठेकेदार से ली गयी थी उस बैंक गारंटी की वैधता दिनांक नवम्बर 20 को समाप्त हो चुकी थी । खंड द्वारा बैंक गारंटी को नवीनीकरण नही करवाया गया था जबकि लेखा परीक्षा तिथि तक कार्य केवल लगभग 50 प्रतिशत ही पूर्ण हुआ था। परफॉरमेंस गारंटी के सापेक्ष बैंक गारंटी का ना रखा जाना विभाग के मैन्युअल के उक्त प्रावधानों का उल्लंघन था साथ ही वित्तीय नियमो का भी उल्लंघन था ।

आगे जांच में पाया गया कि अभिलेखों की जांच में पाया गया आगणन में लिया गया मद संख्या–16 Construction of 1.00 meter Birddle path की अनुबन्धित दर रू0 850/-प्रति मीटर थी, जबकि ठेकेदार को इस मद के सापेक्ष भुगतान 1000/- प्रतिमीटर की दर से किया जा रहा था। लेखापरीक्षा तिथि तक 630 मीटर मात्रा का क्रियान्वयन किया जा चुका था तथा 14वें चालू

देयक के अनुसार ठेकेदार को रू0 150 (1000–850) अधिक प्रतिमीटर मी दर से ₹94500.00 अधिक भुगतान किया जा चूका था।

आगे जांच में पाया गया कि कार्य की प्रगति बहुत धीमी थी कार्य की निर्धारित समाप्ति की तिथि 06.12.2020 व्यतीत हो जाने के बाद भी देयक 50 प्रतिषत कार्य ही पूर्ण हुआ था।

प्रकरण इंगित किये जाने पर खंड द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते बताया कि बैंक गारंटी का नवीनीकरण करवा लिया जाएगा। खंड को परफॉरमेंस गारंटी के रूप में बैंक गारंटी ठेकेदार से लिया जाना अनिवार्य था। बैंक गारंटी ना लिया जाना विभाग के स्टैंडिंग ऑर्डर्स का उल्लंघन था।

मद के सापेक्ष अधिक भुगतान के सम्बन्ध में खंड द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते बताया कि ठेकेदार से वसूली कर ली जायेगी तथा मद के सापेक्ष आगे से अनुबंधित दर ₹ 850/-प्रति मीटर की दर से भुगतान किया जाएगा। खंड की स्वीकारोक्ति से लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि हो जाती है । कार्य कि धीमी प्रगति के सम्बन्ध में कारण खंड द्वारा कोरोना के प्रभाव के बताया ।

अतः अनुबंध की शर्तो के विपरीत ठेकेदार से कार्य के सापेक्ष ₹96 लाख की परफॉरमेंस गारंटी ना लिया जाना तथा उसे ₹94500/- का अधिक भुगतान प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर:4 - अनुबंध शर्तों के विरुद्ध `22.60 करोड़ के तीन कार्यों का बीमा न कराया जाना।

General Condition of Contractमे कार्य के अनुबंध की Clause 13 (13.1 Insurance)के अनुसार- The Contractor,at his own cost shall provide, in thejoint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the Start Date to the end of the defects Liability Period, in the amounts and deductibles started in the Contract Data for the following events which are due to the Employer's risks and Contractor's risks as well:-

(a)loss of or damage to the Works, Plant and Materials
(b)loss of or damage to Equipment
(c)loss of or damage to property (except the works, plant, material and Equipment) in connection with the Contract and
(d) personal injury or death
13.2 Policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Employer for his approval before the Start Date. All such insurance shall provide for compensation to be payable in the types and proportions of currencies required to completely rectify/compensate the loss or damage incurred.

13.3-If the Contractor does not provide any of the policies and certificates required within stipulated time, the Employer may affect the insurance which the Contractor should have provided and recover the premiums the Employer has paid from payments otherwise due to the Contractor or, if no payment is due, the payment of the premiums shall be a debt due.

13.4- Both parties, the Contractor and Employer, shall comply with all conditions of the insurance policies.

13.5However, any alterations to the terms of an insurance shall not be made, either by the Contractor or by the Insurance Company, without the approval of the Employer.

As per the Contract Data of the work, the Defects Liability Period is 12 months, which will start from the date of certification of completion of the whole work and Handed over of the scheme.

Further, Insurance requirements are as under: -

Sl. No.		Minimum Cover for insurance ` in lacs	Maximum deductible for insurance ` in lacs
I.	Works and Plants and Materials		
II.	Loss or damage to equipment		
III.	Other Property		
IV.	Personal injury or death insurance: a) For other people (20 per 100)		
	b) For Contractor's Employees	In accordance with the statutory requirements applicable to India.	

अनुबंध की उक्त शर्तो के अनुसार कार्य का बीमा किया जाना अनिवार्य था।

कार्यालय अधिशासी अभियंता,निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, विकास नगर के अंतर्गत चल रहे निम्नलिखित कार्यों का बीमा नही किया गया-

(अ) नाबार्ड RIDFXXIV कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत फ़तेहपुर पेयजल योजना के अन्तर्गत वितरण प्रणाली के निर्माण कार्य हेतु एक अनुबन्धसंख्या 02/SE/2020-21 दिनांक 07.08.2020 को गठित किया गया था। जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमश: 10.08.2020 तथा 09.05.2021 थी। कार्य के अनुबंध की राशि ₹1.07 करोड़ के सापेक्ष कार्य पर ₹1.24 करोड़ व्यय (02/2021) हो चुका था। कार्यलेखा परीक्षा तिथि तक पूर्ण नहीं हुआ था उल्लिखित नियमानुसार ठेकेदार द्वारा कार्य का बीमा कराया जाना था परन्तु बीमा लेखा परीक्षा तिथि (02/2021) तक नही कराया गया।

(ब) विकास खंड विकास नगर के अंतर्गत रुद्रपुर पम्पिंग पेयजल योजना निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-676/XVII-3/2018 दिनांक-27.03.2018 द्वारा `486.47 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2017-18 मे प्रदान की गयी। कार्य हेतु अनुबंध संख्या-35/अधि0अभि0/2018-19 `2,40,70,300.00, GST रहित गठित किया गया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमश: 09.03.2019 एवं 08.06.2020 थी। लेखा परीक्षा तिथि तक कार्य पर `2,12,10,831.30 का व्यय किया जा चुका था तथा कार्य पूर्ण नही हुआ था। कार्य के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि ठेकेदार द्वाराकार्य का बीमा तो करवाया गया था परन्तु बीमा पालिसी की वैधता अवधि (Validity) 14.06.2020 को समाप्त हो चुकी थी उसे पुनः नवीनीकरण नहीं करवाया गया था जबकि वर्तमान तक कार्य पूर्ण नही हुआ था।

(स)विकास नगर विकास खंड के अंतर्गत नागथात ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना निर्माण कार्य हेतु ₹24.16 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी (01/2019)। कार्य हेतु एक अनुबंध संख्या 01/SE/2019-20 दिनांक 07.06.2019 गठित किया गया था, जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमशः 07.06.2019 तथा 06.12.2020 थी। कार्य लेखा परीक्षा तिथि तक पूर्ण नहीं था लेखा परीक्षा तिथि तक कार्य पर ₹ 9.41 करोड़ व्यय किया जा चूका था कार्य के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा कार्य का बीमा तो करवाया गया था परन्तु बीमा पालिसी की वैधता अवधि (Validity) 06.12..2020 को समाप्त हो चुकी थी, जबकि वर्तमान तक कार्य आधा ही हुआ था। बीमा का पुनः नवीनीकरण नहीं करवाया गया था।

उल्लेखनीय है कि बीमा कराया जाना कार्यालय एवं ठेकेदार दोनों की जिम्मेदारी थी। यदि ठेकेदार बीमा नहीं कराता तो कार्यालय को कराना था और ठेकेदार से बीमा की किस्तों की राशि को वसूल किया जाना था।

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर निर्माण शाखा द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए क्रमश: अवगत कराया गया कि -

(अ) बीमा करवा दिया जायेगा।

(ब) ठेकेदार को नवीनीकरण कराने हेतु लिखा गया किन्तु अतिथि तक ठेकदार द्वारा नवीनीकरण करा कर प्रस्तुत नही किया गया हैं ठेकेदार के आगामी देयक से बीमा की धनराशि की कटौती कर नवीनीकरण करा दिया जायेगा।

(स) ठेकेदार को नवीनीकरण कराने हेतु लिखा गया किन्तु अतिथि तक ठेकदार द्वारा नवीनीकरण करा कर प्रस्तुत नही किया गया हैं ठेकेदार के आगामी देयक से बीमा की धनराशि की कटौती कर नवीनीकरण करा दिया जायेगा।

स्पष्ट हैं कि निर्माण शाखा द्वारा उक्त तीन कार्यों हेतु `22.60 करोड़ का अनुबंध गठित करने के बावजूद शर्तो का उल्लंघन कर न तो ठेकेदार से कार्यों का बीमा करवाया न ही निर्माण शाखा द्वारा बीमा किया गया।

अत:अनुबंध शर्तों के विरुद्ध `22.60 करोड़ के तीन कार्यों का बीमा नहीं किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग– ।।।</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या.	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
1	11/2010-11	1	2,3,4
2	47/2011-12	.	1,4
3	174/2015-16	1	2,3,4,5
4	245/2019-20	-	1,2,3,4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रस्तरों के निस्तारण की कार्यवाही गतिमान हैं।				

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

––– शून्य –––

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, विकासनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः 428(L), 472(L), 509(L)MBs

1. **सतत् अनियमितताएः** शून्य

2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
(i) श्री सोहित कुमार बर्नवाल	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से अब तक।

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे-**
   लागू नहीं।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, विकासनगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ एएमजी-II को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

AMG-II (Non-PSU)